



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

215136

36

रजामन्दी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी तो उसका प्रथम पक्ष

विक्रेतागण समयानुसार पूर्ण रूप से पाबन्द रहेंगे। कोई आपत्ति न

होगी। यदि आज की तिथि से पूर्व का कोई ड्यूज या लगान

मुशालचन्द मोगे-5 उमर



36



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

215137

. 37 .

विक्रित भूमि पर बकाया पाया जायेगा तो उसको चुकता करने का

भार हम विक्रेतागण के जिम्मे होगा और आज की तिथि के बाद

समस्त ड्यूज एवं लगान को स्वयं क्रेता वहन करेंगे। कोई आपत्ति

13/11/1944

11/11/44

*[Signature]*



37



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

215138

. 38 .

न होगी। यदि अब अथवा भविष्य में विक्रित भूमि अथवा उसका

कोई अंश क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से

निकल जायेगा या विक्रित भूमि पर कोई ऋण या भार आदि पाया

मुशालय

मोह-उ ११८

*[Signature]*

38



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

39



जायेगा या यह बैनामा किसी न्यायालय से खण्डित अथवा मन्सूख

करार या जायेगा तो ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा में क्रेता के विक्रय

मूल्य अथवा उसका अंश जैसी स्थिति हो, मय हर्जा व खर्चा व

मुआवज़ा योगे-इ गमल

39



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

. 40 .

215140

भविष्य में लगाई लागत सहित वापिस चुकता करने का भार प्रथम

पक्ष विक्रेतागण तथा उनके उत्तराधिकारी सहित उनकी चल व

अचल सम्पत्ति समस्त प्रकार पर रहेगा। कोई आपत्ति न होगी।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

